न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्याः—141 / 2024

प्रार्थीगण :—

1. लखसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी ऊमसर गोलिया तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. गणपतसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपूत निवासी गोलिया तहसील सिवाना

—::बनाम::—

विप्रार्थीगण::—

1. ईश्वरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ऊमसर गोलिया तहसील सिवाना
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी ऊमसर गोलिया तहसील सिवाना
3. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा सिवाना तहसील सिवाना
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः—1. श्री गणपतसिंह वकील प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांकः— 28.10.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख.सं. 683 / 133 रकबा 1—8696 हैक्टेयर व खसरा संख्या 688 / 135 रकबा 3—5208 हैक्टयर ग्राम ऊमसर तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खसरे की दक्षिण सीमा से लगती विप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.स. 777 / 131 रकबा 3—1889 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण को अपने खेत से आवागमन हेतु, जो आवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट (अ) में बरंग गुलाबी से दर्शाया गया है, विप्रार्थीगण सं. 1 से 2 के उक्त खेत में से प्रचलित कदीमी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जो कि प्रार्थी के आवागमन का इकलौता विकल्प है और उसी रास्ते से प्रार्थीगण बरसात के मौसम में कृषि संयत्र लाते ले जाते है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 रास्ता अपनी खातेदारी में अवस्थित होने के कारण प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा पैदा करती हैं, अतः प्रार्थीगण ने उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करवाने तथा तदनुसार लट्ठा नक्शा में तरमीम करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है तथा प्रभावित भूमि के बदले विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 को प्रतिफल की राशि अदा किये जाने में अपनी सहमति व्यक्ति की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:07 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में अपनी खातेदारी भूमि एवं उससे लगती विप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि की जमाबंदी एवं प्रस्तावित रास्ता दर्शाये हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार सिवाना से आवेदन के तथ्यों के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

प्रार्थीगण वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की मौजा ऊमसर अवस्थित खातेदारी भूमि ख.सं. 683/133 व 688/135 रकबा 1–8696 व 3–5208 हैक्टेयर में आवागमन हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी भूमि ख.सं. 777/131 रकबा 3–1889 हैक्टयर भूमि की दक्षिण सीमा पर कदीमी रूप से प्रचलित रास्ता ही इकलौता, निकटतम एवं सुगम मार्ग है, जिससे प्रार्थीगण का परिवार पीढ़ियों से आवागमन करता आ रहा है। उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की लम्बाई व चौडाई खसरा संख्या 777/131 में 160 मीटर X 4 मीटर ,खसरा संख्या 683/133 में 220 मीटर X 4 मीटर व खसरा संख्या 688/135 में 146 मीटर X 4 मीटर है, को सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज की जावे। खसरा संख्या 777/131, 683/133 व 688/135 के खातेदार बिना प्रतिफल रास्ता घोषित करवाने हेतु सहमत है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सिवाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण के खसरा संख्या 683/133 व 688/135 में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 777/131 व प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 683/133 व 688/135 मे से चाहा गया रास्ता ही सुविधाजनक ,निकटतम एवं एक मात्र वैकल्पिक रास्ता बताया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि अत्यल्प होने के मद्देनजर प्रार्थीगण को विप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 के खसरा संख्या 777/131 व प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 683/133 व 688/13 मे से रास्ता दिलाये जाने हेतु निवेदन किया है। खसरा संख्या 777/131 में 160 मीटर X 4 मीटर ,खसरा संख्या 683/133 में 220 मीटर X 4 मीटर व खसरा संख्या 688/135 में 146 मीटर X 4 मीटर लम्बाई व चौडाई में रास्ते हेतु भूमि प्रभावित होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:07 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ऊमसर तहसील सिवाना की ख.सं. 683/133 व 688/135 रकबा 1–8696 व 3–5208 हैक्टेयर में आवागमन में हेतु विप्रार्थीगण सं. 1 से 2 की खातेदारी भूमि खं.सं. खसरा संख्या 777/131 रकबा 3–1889 हैक्टयर में से 160 मीटर X 4 मीटर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 683/133 रकबा 1–8696 में से 220 मीटर X 4 मीटर व खसरा संख्या 688/135 रकबा 3–5208 में से 146 मीटर X 4 मीटर लम्बाई व चौडाई में तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग हरा से दर्शित भूमि, पर रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि के रूप में रास्ते हेतु प्रभावित रकबे की गणना के पश्चात डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिवाना को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक ऋण इस आदेश से प्रभावित नहीं रहेगा। तहसीलदार सिवाना को माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्र कमांक–राजस्व/2024/881 दिनांक 16.10.2024 को प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत.)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आदेश आज दिनांक 28.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आंशिक नक्शा (भू-नक्शा) ट्रेस
मौजा – ऊमसर
तहसील – सिवाना
जिला – बालोतरा (राज.)
बिना पैमाना

संकेत
— प्रस्तावित रास्ता

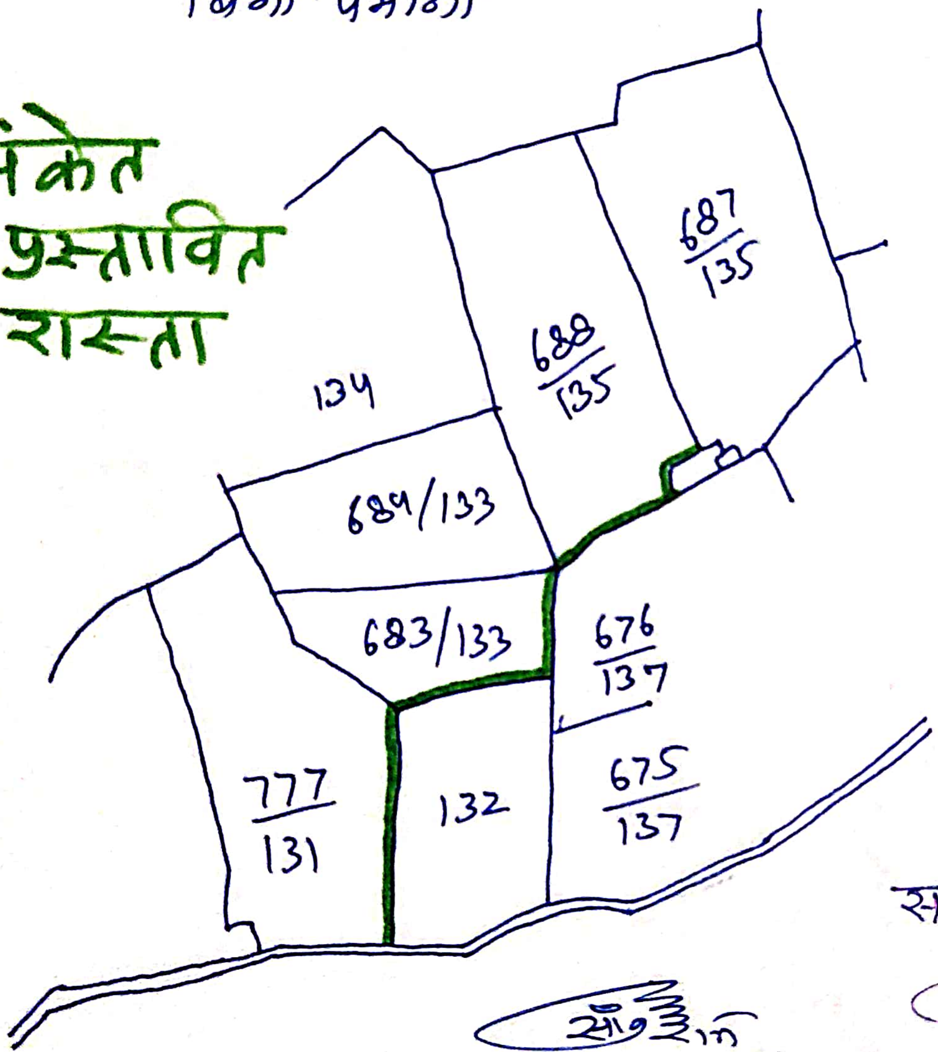

सत्यप्रतिलिपि

19.09.24

19.09.24

सांवलराम
निरीक्षक (भू.अ.) सिवाना
तहसील-सिवाना (बाड़मेर)

(ख.सं. 688/135 के खातेदार)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.19 10:27:07 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिवाना

C.S.

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)